डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: स0म्ब/ 819/2024
दिनांक 21/12/24

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल,
आगरा रोड़, हाथरस।

विषयः— प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, आगरा रोड़, हाथरस आगरा को स्वीवित्तपोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम में 60 सीटों के साथ सत्र 2020–21 (एक वर्ष) की सम्बद्धता विस्तारण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

महोदय,

शासनादेश संख्या सम्ब0/1148/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुपालन में आयुर्वेदिक संकाय के अर्न्तगत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार आयुष मंत्रालय के पत्र संख्या Ref. No. – 3-4/U.P/MARB/2023-Ay (58) दिनांक 16.01.2024 के अनुपालन में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार निम्न शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2020–21 (एक वर्ष) की सम्बद्धता विस्तारण उपर्युक्त शासनादेश में अंकित कमियों को पूरा किये जाने के अधीन निम्न कमियों के साथ स्वीकृत सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:–

1. मानकानुसार विश्वविद्यालय से शिक्षक कम अनुमोदित हैं। 2. अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका है।

1. संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 रेगूलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गयी है, यह व्यवस्था अधिनियम की धारा–5(4) विलोपित किये जाने के अन्तर्गत की गई है।

भवदीय

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक आयुर्वेदिक (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
7. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।
8. अधीक्षक कुलसचिव कार्यालय।
9. अधीक्षक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
10. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)।

उप–कुलसचिव